कार्यालय नगरपरिषद नीमकाथाना

मास्टर प्लान 2041 (प्रारूप) के संबंध में आयोजित स्टेक होल्डर्स बैठक कार्यवाही

आज दिनांक 10.09.2024 को दोपहर 11.00 बजे नगरपरिषद कार्यालय के सभा भवन में मास्टर प्लान 2041 (प्रारूप) के संबंध में स्टेक होल्डर्स मिटिंग नगरपरिषद श्रीमान उपसभापति श्री महेश मेगोतियां की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें श्रीमान सुरेश मोदी विधायक नीमकाथाना, श्री सुरेश कुमार मीणा, आयुक्त, नगरपरिषद नीमकाथाना, श्री महेश ओला, तहसीलदार नीमकाथाना, श्री पवन कुमार काबरा, उपनगरनियोजक, जयपुर जोन, श्री मोहम्मद अजहर जाटू, उपनगरनियोजक सीकर, पार्षदगण एंव विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष तथा आमजन उपस्थित रहे। (उपस्थिति पत्र संलग्न है)

नगरपरिषद आयुक्त श्री सुरेश कुमार मीणा द्वारा सभी आगन्तुओं का स्वागत किया गया तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। नगर नियोजक विभाग से आये हुये अधिकारियों द्वारा तैयार किये जा रहे मास्टर प्लान के संदर्भ में प्रजेन्टेशन दिया गया साथ ही आये हुये जनप्रतिनिधियों द्वारा सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत किये गये जो निम्न प्रकार है:—

क्र.सं.	सुझावकर्ता/आपत्तिकर्ता का नाम	विवरण
1	श्रीमान सुरेश मोदी, विधायक, नीमकाथाना	नगर नियाजन विभाग के अधिकारीयों को मौखिक अवगत करवाया गया कि शहर की मौजुदा स्थिति को मास्टर प्लान में शामिल किया जावें एंव सभी बाईपास को शहर से जोड़ने के लिए मौजुदा रास्तो को मास्टर प्लान में शामिल किया जावें। पूर्व में मण्डल द्वारा मास्टर प्लान 2010—2031 में रही विसंगतियों का दूर करने हेतु 51 बिन्दुओं का प्रस्ताव साधारण सभा की बैठक दिनांक 08.10.2021 के द्वारा अनुमोदित करवाकर के आपके विभाग को नगरपरिषद द्वारा भिजवाया जा चुका है। उक्त बिन्दुओं को वर्तमान में तैयार किये जा रहे मास्टर प्लान में शामिल करायें साथ ही जितना सम्भव हो सके उतना सुविधा क्षेत्र को निजी खातेदारी भूमि की जगह सरकारी भूमि में आरक्षित किया जावें।
2	श्री त्रिलोक दीवान, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष	मौखिक अवगत करवाया गया कि पूर्व का सर्वे 6 वर्ष पहले हुआ था इसलिए वर्तमान स्थिति को देखते हुये नवीन सर्वे किया जाकर के वर्तमान स्थिति को मास्टर प्लान में शमिल किया जावे।
3	श्री महेन्द्र गोयल, पार्षद, वार्ड नं. 03, मो0 न0 9929093722	वर्तमान स्थिति का आंकलन कर उसको मास्टर प्लान में मौका अनुसार लागू किया जावें। 2011—2031 में जो बड़ी रोड़ प्रस्तावित है एंव वहा वर्तमान में खाली खेत है वह रोड प्रस्तावित बाईपास को जोड़ रही है, ऐसी रोड़ की चौड़ाई कम नही की जावे। प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की आवश्यक भूमि भी आवश्यकतानुसार आंशिक ली जावें। मास्टर प्लान की ग्राम पंचायतों के स्वयं के विकास हेतु कुछ भूमि ग्राम पंचायतों हेतु छोड़ी जावे। प्रस्तावित जनसंख्या का आंकलन कम है, बढ़ाया जावे।
4	श्री महेन्द्र कुमार सोमानी, अध्यक्ष कपड़ा व्यापार संघ मो0 न0 9928008092	फिजिकल स्तर पर सर्वे कर वास्तविक स्थिति को मास्टर प्लान में दर्शाया जावें। वर्तमान कपिल मण्डी एंव सुभाष मण्डी क्षेत्र जो मिश्रित योजना वाणिज्यिक एंव आवासिय है इसको पूर्ण रूप से व्यवसायिक क्षेत्र के रूप में मास्टर प्लान में शामिल किया जावें। उपरोक्त स्वीकृति में रास्तो को व्यवसायिक गतिविधि अनुसार चौड़ाई बढाई जावे। नीमकाथाना नगरपरिषद के वर्तमान सीमा क्षेत्र के अलावा जो क्षेत्र ग्राम पंचायत में जैसे—गुमानसिंह की ढाणी, पूछलावाली ढाणी, राजवाली ढाणी, हीरानगर, मय पंचायत गोडावास मय पंचायत नयाबास एंव पुरानाबास मय पंचायत को शामिल करते हुये मास्टर प्लान

Scanned with OKEN Scanner

		बनाया जावे। जिला घोषणा होने के बाद खेल स्टेडियम हेतू स्थान निर्धारित किया जावे।
5	श्री उमेश मुंडोतियां, पार्षद, वार्ड नं. 33 मो0 न0 9694277771	आवासीय कॉलोनी से सब्जी मण्डी को हटवाकर जो नई सब्जी मण्डी कृषि मण्डी में बनी है उसको वहां शिफ्ट करवाये। शहर में पार्क के लिए जगह सुनिश्चित करें। खेतड़ी मोड़ वार्ड नं. 33 में 100 वर्षो से भी अधिक वर्षो से लोग रह रहे है जो कि गौचर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है, जिनके पट्टे नही बन पा रहे है।
6	श्री किशोर सेवदा, पार्षद, वार्ड नं. 16	भूदौली रोड़ शहर के अन्दर जाने वाली मुख्य सड़क है इसलिए उक्त सड़क के दोनो और व्यवसायिक पट्टी तैयार किये जा रहे मास्टर प्लान में शामिल किये जावे।
7	श्री संजय कुमार संघी, पार्षद, वार्ड नं. 08 मो0 न0 9352210702	वर्तमान मौका स्थिति एंव बसावट का भौतिक सत्यापन कर मास्टर प्लान बनाया जावे। पुरानी घनी आबादी क्षेत्र आवासीय को व्यवसायिक क्षैत्र में परिवर्तन किया जावे। श्याम मंदिर तालाब रोड़ के पीछे आवासीय प्लाट में स्कुल दिखा रखा है। उक्त जगह को मास्टर प्लान में आवासीय आरक्षित किया जावें।
8	श्री कृष्ण सैनी, पार्षद, वार्ड नं. 31 मो0 न0 8769165285	मोदी बाग वार्ड नं. 31 में मोदीबाग को पूर्व के मास्टर प्लान में अस्पताल दर्शाया गया है, जबकि मौके पर मकान बने हुये है। मामराज कॉलोनी में इसके बीचो–बीच रास्ता दिखा रखा है, लेकिन मौके पर मकान बने हुये है इसलिए मास्टर प्लान में आरक्षित सड़क को हटाया जावे।
9	श्री लेखराज, पार्षद, वार्ड नं. 20 मो0 न0 9001634557	वार्ड नं. 20 में पुरी आबादी बसी हुई है, इसलिए खेतडी मोड़ से भूदोली रोड़ बाईपास तक मास्टर प्लान में आरक्षित सड़क 60 फिट ही यथावत रखा जावे।
10	श्री जवाहरलाल, पार्षद, वार्ड नं. 18 मो0 न0 94144836013	मावण्डा रोड़ से नीमली गांव तक नये बाईपास का निर्माण कार्य चालु है ऐसी स्थिति में कोटड़ा रोड़ को नयाबास रोड़ से नई बाईपास तक काफी आबादी बसी हुई है, पूर्व के मास्टर प्लान मे 100 फुट रोड आरक्षित है, जो सम्भव नही है। अतः प्रस्तावित मास्टर प्लान में उक्त सड़क नयाबास रोड़ से नये बाईपास तक कोटड़ा रोड़ को 30 फुट चौड़ा ही रखा जावे।
11	श्री शाकिरअली, पार्षद, वार्ड नं. 21 मो0 न0 7737777388	नये मास्टर प्लान में वार्ड नं. 26 में मुख्य सड़क पर बालिका स्कुल के सामने वर्षो पुराना कब्रिस्तान को मास्टर प्लान में आरक्षित किया जावे। हाईटेन्शन लाईन वार्ड नं. 21 व 22 में पुराने मास्टर प्लान में एक साईड ही 100 फीट दर्शा रखी है जिसको सेन्टर से दोनो साईड दर्शाये। कोर्ट परिसर के पिछे मुख्य सड़क पर मस्जिद को मास्टर प्लान में ऑफिस आरक्षित कर रखा है, कब्रिस्तान दर्शाया जाये। वार्ड नं. 22 में सब जेल नीमकाथाना को मास्टन में मस्जिद दर्शाये। वार्ड नं. 21 में वर्षो से ताजिया मनाया जाता है जिसको नये मास्टर प्लान में अंकित करे। ईदगाह मस्जिद को वार्ड नं. 21 में स्थित ईदगाह मस्जिद को नये मास्टर प्लान मे दर्शाये।
12	श्री राकेश कुमार जांगीड, पार्षद, वार्ड नं. 35 मो0 न0 9784936503	वार्ड नं. 35 नवीन टाकिज रोड़ के पूर्व दिशा में पुरानी आबादी 85 साल से बसी हुई है यह आबादी खसरा नं. 792 नया 1262 पर बसी हुई है, जो कि मंदिर माफी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड पर दर्ज है जिसके कारण यहा बसे लोगो को पट्टे नही मिल रहे है। कृपया मास्टर प्लान में शामिल करके पट्टे देने की कृपा करे। जोड़ला जोहड़ा वार्ड नं. 35 मे जो कॉलोनी बसी हुई है उसका भी आधा हिस्सा मास्टर प्लान में सम्मलित नही है, जिसके कारण लोगो को पट्टे लेने में समस्या आ रही है। कृपया इसे मास्टर प्लान में सम्मलित किया जावें।
13	श्री रवि कुमार गुप्ता मो0 न0 9414902573	वार्ड नं. 32 में खसरा नं. 1310 प्लाट–12 आवासीय प्लाट को पूर्व के मास्टर प्लान में ओसीएफ दर्शाया है। कृपया इसे ओसीएफ से हटाकर आवासीय किया जावें। नीमकाथाना शहर

Scanned with OKEN Scanner

		में करीब 250 स्कूल है जो लगभग आवासीय क्षेत्र में है जिनके सामने 15 से 30 फूट के रास्ते है, जब स्कुल संचालक आवासीय से शैक्षणिक रूपांतरण के लिए नगरपरिषद जाते है, तो नियमो का हवालात देकर मना कर दिया जाता है। कृपया स्कुल की भूमि के शैक्षणिक रूपांतरण हेतु सामने रास्ते की चौड़ाई में शिथिलता प्रदान की जावे।
14	श्री अमरसिंह मंगावा मो0 न0 8440852112	वार्ड नं. 32 में खसरा नं. 1399, 1407, 1404, 1401, 1818 ये सभी खसरे में आबादी बसी हुई है। पूर्व के मास्टर प्लान में बस स्टेण्ड और स्कुल ग्राउण्ड में आरक्षित कर रखा है। उक्त खसरो को आवासीय आरक्षित किया जावें।
15	श्री प्रेम प्रकाश मो0 न0 9829828467	ग्राम गोडावास में खसरा नं. 840, 838, 834, 834/1016, 836/1015, 839, 841, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 835 पूर्व के मास्टर प्लान में बस स्टेण्ड और स्कुल ग्राउण्ड में आरक्षित कर रखा है। उक्त खसरो को आवासीय आरक्षित किया जावें।
16	श्री भोलाराम गुवारियां मो0 न0 8094018190	गांव व ढांणियों जो कि 20 किलोमीटर के दायरे में है उनको नगरपरिषद से जोड़ा जावें। नीमकाथाना नगरपरिषद मास्टर प्लान से जोड़ा जावे। शहर का विकास होगा जैसे रोड़ बनना सीवरेज लाईन, टूटी-फूटी सड़को की मरम्मत करना जिससे ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास हो। नया मास्टर प्लान कब तैयार होगा नगरपरिषद चुनाव से पहले या बाद में।
17	श्री ओमप्रकाश सैनी मो0 न0 9660322343	कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनाईजेशन को रोका जावे। मास्टर प्लान बनाने के बाद संबंधित सरकारी निकाय (नगरपरिषद एंव तहसील) को पाबंद किया जावे ताकि मास्टर प्लान से छेड़-छाड़ नही हो।
18	श्री विक्रम सिंह, मढोली मो0 न0 7891670555	शहर के चारो तरफ के बाईपास को स्टेट हाईवे मानते हुये शहर की बाईपास के अन्दर शहर की सभी जुड़ने वाली सड़को को सीटी रोड मानते हुये निर्माण की अनुमति एंव सीटी रोड के हिसाब से पट्टे दिये जावे। शहर के बाईपास तक जाने वाले सभी कटान रास्तो को मास्टर प्लान में 40 व 60 फीट किये जावे ताकि भूमि कन्वर्जन में सुविधा बने। शिवम होटल से डम्पींग यार्ड तक जाने वाली मोरहम रोड को मास्टर प्लान में 80 फीट आरक्षित किया जावे ताकि यह नये बाईपास से जुडे और आबादी बसने पर लॉड कम हो सके।
19	श्री दलाराम चौधरी मो0 न0 9982964381	अन्तरिक्ष होटल से खेतड़ी रोड़ गोपाल गौशाला तक 40 फीट का आम रास्ता मास्टर प्लान में आरक्षित किया जावे। खेतड़ी रोड़ शिवम होटल से आगे पिपल के वृक्ष के पास से होता हुआ गोड़ावास गांव से होता हुआ रेल्वे अन्डर पास तक 40 फीट सड़क मास्टर प्लान में आरक्षित किया जाये।
20	श्रीमती संगीता देवी, श्रीमती सुमन देवी मो0 न0 9784493346	खसरा नं. 1392/2 रकबा 0.2350 है0 घीसूसिंह पुत्र श्री उगमसिंह इसके आपपास व इस खसरे में बसावट बसी हुई है। अतः इस खसरे को नीमकाथाना कस्बे हेतु तैयार किये जा रहे नवीन मास्टर प्लान में आवासीय भूमि आरक्षित की जावे।
21	श्रीमती नानची देवी, संतोष देवी, सन्तरा देवी, अशोक	कृषि भूमि खसरा नं. 213 में मास्टर प्लान 2012 में औधौगिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित है। उक्त खसरे के पास खसरा नं. 222 आवासीय भूमि है जिसमें होस्पीटल व मकान बने हुये है। निवेदन है, कि मास्टर प्लान 2041 में संशोधन कर वापस आवासीय भूमि आरक्षित करवाये।
22	श्री भगवान सहाय, श्री अमीचन्द, होशियार सिंह मो0 न008005678722	खसरा नं. 281 नया खसरा नं. 423 में आबादी बसी हुयी है पूर्व के मास्टर प्लान में इस खसरे को ओएफसी आरक्षित है। अतः निवेदन है, कि उक्त खसरा को संशोधन किया जाकर आवासीय करे। खसरा नं. 437/2 के पास प्राईवेट स्कुल थी

Scanned with OKEN Scanner

		जो बन्द होकर आवासीय उपयोग में आ रही है। पूर्व के मास्टर प्लान में उक्त खसरे को खेल ग्राउण्ड दर्शा रखा है। कृपया संशोधन करने आवासीय आरक्षित करने का का श्रम करे।
23	श्री विजेन्द्र झाझड़ियां मो0 न0 8005949560	नगरपरिषद नीमकाथाना पैराफेरी क्षैत्र के प्रचलित रास्ते, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते व ग्रामीण सड़को को मास्टर प्लान में शामिल किया जावे, जिससे भविष्य मे खातेदारो को भूमि विकसित करने में कोई परेशानी नही हो।
24	श्री अशोक अग्रवाल मो0 न0 9414038961	नीमकाथाना का मास्टर प्लान बनाते समय वर्तमान रूप में जिले एंव परिषद की सीमाओ का डिजिटल सर्वे करके या फिजिकल सर्वे करके बनया जावे।
25	श्री नेकीराम पुत्र श्री मालीराम मो0 न0 9928933642	उक्त नगरपरिषद के पुराने ले-आउट प्लान में उक्त भूमि खसरा नं. 371, 372, 373, 374 में 200 फीट चौड़ी सड़क को दर्शाया हुआ है, जबकि उक्त भूमि खेतड़ी रोड़ बाईपास मार्ग 200 फीट की दूरी पर है एंव उक्त भूमि से नीमकाथाना कोटड़ा रोड़ भी निकल रही है। इस प्रकार उक्त भूमि सड़क से लगती व बाईपास सड़क से नजदीक स्थित है वर्तमान में तैयार किये जा रहे मास्टर प्लान से हटाया जावें।
26	श्री आशु मीणा मो0 न0 9828654444	खेतड़ी मोड़ से खेतड़ी रोड़ पर बसी कॉलोनी आज से लगभग 50 वर्ष से बसी हुई है, जो आज तक नगरपरिषद पट्टा नही बना पा रही है। ले आउट बना हुआ है। मास्टर प्लान में आवासीय आरक्षित करे।
27	श्री सुनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री नारायण लाल अग्रवाल मो0 न0 9414037515	भूमि खसरा नं. 958/162 रकबा 0.2285 है0 (2285 वर्गमीटर) उक्त भूमि पर मारूति सुजुकी कम्पनी का शौरूम मय वर्कशाप संचालित है। इस हेतु उक्त भूमि को वाणिज्यक प्रयोजनार्थ मास्टर प्लान में आरक्षित करे।
28	श्री रामजीलाल मोदी मो0 न0 7891060228	वार्ड नं. 10, आदर्श कॉलोनी नीमकाथाना पूर्व के मास्टर प्लान में सरकारी स्कुल दर्शाई गई है, जबकि उक्त स्थान पर मै 1998 से रह रहा हुं और मेरे निवास स्थान से 2 किलोमीटर की परिधि में कही सरकारी स्कुल नही है। कृपया तैयार किये जा रहे मास्टर प्लान में आवासीय आरक्षित करे।

अध्यक्ष महोदय एंव आयुक्त महोदय द्वारा नगर नियोजन विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया कि आज प्राप्त सुझावों को तैयार किये जा रहे मास्टर प्लान में शामिल किया जावें। पूर्व में मण्डल द्वारा मास्टर प्लान 2010-2031 में रही विसंगतियों का दूर करने हेतु 51 बिन्दुओं का प्रस्ताव साधारण सभा की बैठक दिनांक 08.10.2021 के द्वारा अनुमोदित करवाकर के आपके विभाग को भेजा जा चुका है। (प्रति संलग्न है) उक्त बिन्दुओं में अधिकतर सुझावकर्ताओं के सुझाव बिन्दू शामिल है इसलिए उक्त बिन्दूओं को वर्तमान में तैयार किये जा रहे मास्टर प्लान में शतप्रतिशत शामिल किया जावें। वर्तमान में शहर के चारो तरफ बाईपास निर्मित हो चुके है/हो रहे है, इसलिए शहर के अन्दर मुख्य आबादी में प्रस्तावित 30 मीटर सड़क का मार्गाधिकार 24 मीटर रखा जावे। मास्टर प्लान-2041 (प्रारूप) को मौके की वर्तमान स्थिति के अनुसार सर्वे किया जाकर तैयार किया जावे ताकि आमजन को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

तत्पश्चातः बैठक कार्यवाही सधन्याद समाप्त की गयी।

अध्यक्ष
मास्टर प्लान स्टेक होल्डर्स कमेटी

आयुक्त
नगरपरिषद नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner